न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया

जमानत आवेदन सं0–256/2026

मानसी थाना काण्ड सं0–81/25

कैलु यादव उर्फ रमेश यादव – बनाम् – राज्य

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
खगड़िया।

16.03.2026

काराधीन आवेदक/अभियुक्त–**कैलु यादव उर्फ रमेश यादव** की ओर से मानसी थाना काण्ड सं0–81/25, जी.आर.सं0–894/25 धारा–115(2), 126(2), 326(F), 352, 351(2), 351(3), 303(2), 74, 329(4), 110, 3(5) BNS एवं धारा–27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मामले में शपथ–पत्र से समर्थित दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री गगन कुमार चौधरी के द्वारा संचालित किया गया। आवेदक अभियुक्त दिनांक **20.02.2026** से कारा अभिरक्षा में हैं।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने जमानत के बिन्दु पर अपने आवेदन में कथन किया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है एवं उसने कोई अपराध नहीं किया है तथा उसे इस केस में दुर्भावना, दुश्मनी एवं जमीनी विवाद के कारण झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्ध अन्य एक आपराधिक मामला दर्ज है जिसमें वह जमानत पर है। कथित धारा–110, 303(2) BNS का आरोप आवेदक के विरूद्ध लागू नहीं होता है। धमहारा गाँव घनी आवादी वाला है, लेकिन सूचिका द्वारा लगाये गये आरोप का समर्थन नहीं किया है तथा जाँच के दौरान जिन गवाहों से पूछताछ की गयी है, वे सभी सूचिका के अपने आदमी हैं। सूचिका ने विशेष रूप से यह आरोप लगाया है कि ''कैलू यादव ने उसके ससुर पर तलवार चलाया, जिससे उसके ससुर के बायें हाथ का अंगूठा कटकर हट गया'', लेकिन जख्म जाँच प्रतिवेदन में चिकित्स ने पाया है कि बायें अंगूठे पर 2"x1"x1" फटा हुआ घाव, जो अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा करते हैं। उपरोक्त के अलावे बाकी सह–अभियुक्तों को जमानत दे दी गयी है तथा आवेदक का यह मामला भी समान प्रकृति का है। आवेदक के विरूद्ध विशिष्ट आरोप नहीं है और उसके विरूद्ध लगाये गये सभी आरोप झूठा और भूमि विवाद के कारण मनगंढ़त है। आवेदक मुकदमे का सामना करने के लिए

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया

जमानत आवेदन सं0–256/2026

मानसी थाना काण्ड सं0–81/25

तैयार हैं तथा फरार नहीं होंगे। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

सूचिका विभा देवी के टंकित आवेदन के अनुसार अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 30.03.25 को रात्रि 09.30 बजे सूचिका अपने घर पर थी तभी मृत्युंजय यादव, चंद्रदेव यादव, सकलदेव यादव, संजय यादव, विजय यादव, उमेश यादव, **कैलू यादव**, विकास यादव, रूपेश यादव एवं तीन अज्ञात व्यक्ति उसके घर में घुस गये एवं गंदी–गंदी गाली देने लगे। मृत्युंजय यादव, उमेश यादव, **कैलू यादव ने कहा कि सभी मिलकर इसकी इज्जत लूट लो,** जिस पर सभी सूचिका को हाथ पकड़कर खेत की ओर ले गये, हल्ला करने पर रूपेश यादव, विकास यादव, चंद्रदेव यादव, सकलदेव यादव, संजय यादव, विजय यादव ने मिलकर उसकी साड़ी पकड़कर खींच लिया, जिससे वह अर्द्धनग्न हो गयी। सूचिका को जमीन पर पटक कर उठा–पटक करने लगे। बचाने के कम में सभी मिलकर जान मारने की नियत से सूचिका के ससुर और देवर को कुदाल एवं लोहे के रॉड से सिर पर मारा, जिससे उनका सर फट गया एवं काफी खून बहने लगा। सूचिका एवं उसकी ननद को भी लाठी एवं रॉड से मारा। **कैलू यादव ने उसके ससुर पर तलवार चलाया, जिससे बांया हाथ का अंगूठा कट गया।** विजय यादव, मृत्युंजय यादव ने जान मारने की नियत से उसके पति पर गोली चलाया, जो बगल से गुजर गया। सभी मिलकर उसके घर में रखे बक्सा से दो भर सोने का जेवर कीमत 1,40,000/– रुपये एवं 10,000/– रुपया नकद ले लिया। सभी मिलकर सूचिका के घर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया। घर में रखा कपड़ा, अनाज, चौकी, कुर्सी, टेबल बगैरह जल कर राख हो गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का पुरजोर विरोध किया गया है।

उभयपक्ष को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि इस आपराधिक वाद में आवेदक सहित अन्य सह–अभियुक्तों के विरूद्ध ऊपरी अंकित धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। आवेदक इस काण्ड

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया
जमानत आवेदन सं0–256/2026
मानसी थाना काण्ड सं0–81/25

लगातार
16.03.2026

का नामित अभियुक्त है तथा इस पर अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर समान आशय से आवेदक/अभियुक्त के आदेश पर सूचिका एवं अन्य के साथ अभद्र व्यवहार, गाली–गलौज, मारपीट करने, सूचिका को साड़ी खींचकर अर्द्धनग्न करने, जान मारने की नियत से सूचिका के ससुर और देवर को कुदाल एवं लोहे के रॉड से सिर पर मार कर जख्मी करने, सूचिका एवं उसकी ननद को भी लाठी एवं रॉड से मार कर जख्मी करने, कैलू यादव (आवेदक) ने उसके ससुर पर तलवार चलाया, जिससे बांया हाथ का अंगूठा कट गया। विजय यादव, मृत्युंजय यादव ने जान मारने की नियत से उसके पति पर गोली चलाया, जो बगल से गुजर गया तथा सभी मिलकर उसके घर में रखे बक्सा से दो भर सोने का जेवर कीमत 1,40,000/– रुपये एवं 10,000/– रुपया नकद ले लेने, सूचिका के घर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देने, जिससे घर में रखा कपड़ा, अनाज, चौकी, कुर्सी, टेबल बगैरह जल कर राख हो गया, का गम्भीर आरोप है। जमानत आवेदन के पारा–3 के अनुसार, आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य एक आपराधिक मामला दर्ज है, ऐसी दशा में आवेदक अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, मामले की प्रकृति एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	16.03.26
Date of Reserving Judgement/Order	—
Uploading Date	19.03.26
Uploading by	Nikki Kumar (D.C.O)